

## दवियांग उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण

यह एडटिलेरियल 17/04/2024 को 'द हिंदू' में प्रकाशित "Navigating life as a consumer with disability" लेख पर आधारित है। इसमें व्यवसायों और सरकार के बीच एक सुदृढ़ कानूनी ढाँचे और सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। यह सहयोग दवियांग उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिये आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित हो कि उन्हें बाजार और समाज में समान अवसर प्राप्त हो।

### प्रलिमिस के लिये:

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता विविद निवारण आयोग, उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बकिरी) नियम, 2021, ई-दाखिल पोर्टल, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH), दवियांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभियान, दवियांगजन अधिकार अधिनियम 2016।

### मेन्स के लिये:

दवियांग उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा और संबंधित मुद्दे, दवियांग उपभोक्ताओं के अधिकारों को बनाए रखने से संबंधित चुनौतियाँ।

प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस (World Consumer Rights Day) के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर उपभोक्ताओं के अधिकारों एवं ज़मीनदारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। हालाँकि, उपभोक्ता अधिकारों से जुड़े उत्तरांशों और चर्चाओं के बीच प्रायः उपभोक्ताओं का एक ऐसा भी समूह है, यानी दवियांगजन, जिसकी उपेक्षा कर दी जाती है। उपभोक्ता जनसांख्यकीय के भीतर उनकी महत्वपूर्ण उपस्थितिके बाबजूद, दवियांग उपभोक्ता प्रायः उपभोक्ता अधिकारों की पहल के विरिश्व और व्यावहारिक कार्यान्वयन दोनों में स्वयं को हाशिया पर पाते हैं। यह अदृश्यता या अनदेखी बाजार में दवियांग उपभोक्ताओं के समक्ष विद्यमान विशिष्ट चुनौतियों एवं बाधाओं को दूर करने की दिशा में अधिक ध्यान एवं समावेशिता की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

दवियांगजनों को बेहद बुनियादी मानवीय गतिविधियों के लिये भी मदद मांगने के संघर्ष का सामना करना पड़ता है और इसके परिणामस्वरूप वे गरमि, स्वतंत्रता एवं निजिता की हानिका शक्ति होते हैं। उपभोक्ता के रूप में वे जिस व्यापक दुरगमता का सामना करते हैं, वह न केवल स्वतंत्र जीवन जीने के उनके अधिकार को कमज़ोर करती है, बल्कि उन्हें दूसरों के समान समाज में भागीदारी से भी अवरुद्ध करती है।

## दवियांग उपभोक्ताओं (Consumers With Disabilities- CwDs) से संबंधित विभिन्न पहलू:

### जनसांख्यकीय और सांख्यकीय अवलोकन:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, 1 बलियिन से अधिक लोग (वैश्विक आबादी का 15%) कर्सी न कर्सी रूप में दवियांगता के साथ जी रहे हैं। भारत में, वर्ष 2011 की जनगणना में दवियांगजनों की संख्या 26.8 मिलियन दर्ज की गई, जो कुल जनसंख्या का 2.21% है।

### दवियांग उपभोक्ताओं के अधिकार:

- समान व्यवहार:**
  - दवियांग उपभोक्ताओं को बाजार में समान व्यवहार पाने का अधिकार है। इसमें उनकी दवियांगता के आधार पर कर्सी भेदभाव कर्या बनिया दूसरों के साथ समान आधार पर वस्तुओं, सेवाओं और सुविधाओं तक पहुँच पाना शामिल है।
- गैर-भेदभाव:**
  - व्यवसायों को वस्तुओं, सेवाओं और रोजगार के अवसरों के प्रावधान में दवियांग उपभोक्ताओं के साथ भेदभाव करने से प्रतिबंधित कर्या गया है। इसमें दवियांगता के आधार पर सेवा से इनकार करने, घटया सेवा प्रदान करने या अधिक मूल्य वसूलने पर रोक शामिल है।



II

SC Tw

#### ■ अभिम्यता:

- दवियांग उपभोक्ताओं को उत्पादों, सेवाओं और सार्वजनिक स्थानों की अभिम्यता का अधिकार प्राप्त है। इसमें भौतिक अभिम्यता (जैसे रैप और लफिट), संचार अभिम्यता (जैसे सांकेतिक भाषा दुष्प्राप्ति की उपस्थितिया अभिम्य वेबसाइट) और सूचना अभिम्यता (जैसे दस्तावेजों के अभिम्य प्राप्ति) शामिल हैं।

#### ■ सहायक परविश (Accommodation):

- व्यवसायों को यह सुनिश्चित करने के लिये सहायक परविश के नियम की आवश्यकता है कि दवियांग उपभोक्ता उनकी वस्तुओं और सेवाओं तक पहुँच बना सकें। इसमें दवियांगजनों की आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिये नीतियाँ, अभ्यासों या प्रक्रयियाँ को संशोधित करना शामिल हो सकता है।

#### ■ नजिता:

- दवियांग उपभोक्ताओं को व्यवसायों के साथ अंतःक्रयिय में नजिता एवं गोपनीयता का अधिकार प्राप्त है। उनकी दवियांगता से संबंधित व्यक्तिगत सूचना के प्रति संवेदनशील व्यवहार किया जाना चाहिये और इसे अनधिकृत प्रकटीकरण से संरक्षित किया जाना चाहिये।

#### ■ अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढाँचे:

- दवियांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCRPD):
  - वर्ष 2006 में अंगीकृत **UNCRPD** एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो दवियांगजनों के अधिकारों एवं गरमि को बढ़ावा देती है। यह दवियांगजनों द्वारा सभी मानवाधिकारों और मूल स्वतंत्रता का पूर्ण एवं समान उपभोग कर सकना सुनिश्चित करती है।
  - दवियांगजनों के लिये अवसरों की समानता पर मानक नियम:
    - वर्ष 1993 में **संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA)** द्वारा अंगीकृत ये नियम दवियांगजनों के अधिकारों और समावेशन को सुनिश्चित करने के लिये विशेष के देशों को एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। ये नियम अभिम्यता, शक्ति, रोज़गार, सामाजिक सुरक्षा और पुनर्वास जैसे क्षेत्रों को कवर करते हैं।

#### ■ भारत में मौजूद राष्ट्रीय कानूनी ढाँचे:


- दवियांगजन अधिकार अधनियम, 2016:
  - यह भारत में प्राथमिक कानून है जो दवियांगजनों के अधिकारों और हक़दारी (entitlements) की रक्षा करता है। यह 21 प्रकार की दवियांगताओं को प्रभाषित करता है और नियमित वातावरण, परविन, सूचना एवं संचार के लिये अभिम्यता मानकों को निर्दिष्ट करता है। यह अधनियम उच्च शक्ति और सरकारी रोज़गार में आरक्षण के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा उपायों का भी प्रावधान करता है।
- दवियांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधनियम, 1995:
  - यह भारत में मौजूद प्रमुख दवियांगता संबंधी कानून था, जसे बाद में दवियांगजन अधिकार अधनियम 2016 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इसने 7 प्रकार की दवियांगताओं की पहचान की थी और नवारण, पुनर्वास एवं बाधा-मुक्त वातावरण के नियम पर

ध्यान केंद्रित किया था।

- **अन्य प्रासंगिक कानून:**
  - भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 – यह पुनर्वास संबंधी पेशेवरों के प्रशिक्षण को विधिमति करता है और इसकी नियमिति करता है।
  - **मानसिक सवास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017** – यह मानसिक बीमारी रखने वाले व्यक्तियों के अधिकारों और गरमी की रक्षा करता है।
  - ऑटोज़िम, सेरेब्रल पॉल्सी, मानसिक मंदता और बहुविधियांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिये राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 – यह नियंत्रित दिवियांगजनों के कल्याण और सशक्तीकरण के लिये प्रावधान प्रदान करता है।
- **नीतियाँ और योजनाएँ:**
  - **सुगम्य भारत अभियान (Accessible India Campaign)** – इसका उद्देश्य नियमिति वातावरण, परिवहन और सूचना एवं संचार में सुगम्यता या अभिगम्यता को बढ़ाना है।
  - विशिष्ट दिवियांगता पहचान (Unique Disability ID- UDID) परियोजना – यह सरकारी लाभों और सेवाओं की बेहतर डिलीवरी को सक्षम करने हेतु दिवियांगजनों के लिये एक राष्ट्रीय डेटाबेस का नियमाण करता है।

## दिवियांग उपभोक्ताओं (CwDs) के समक्ष विद्यमान विभिन्न चुनौतियाँ:

- **भौतिक एवं अभिगम्यता संबंधी बाधाएँ:**
  - दुर्गम्य नियमिति वातावरण (जैसे रैप, लफिट और चौड़े डोरवे की कमी), जो उनकी गतिशीलता और भौतिक स्थानों तक स्वतंत्र पहुँच को अवरुद्ध करता है।
  - अपर्याप्त सुगम्य परिवहन विकल्प, जो आवागमन और वस्तुओं एवं सेवाओं तक पहुँच की उनकी क्षमता को बाधित करते हैं। उनके दैनिक जीवन और उपभोक्ता गतिविधियों में सहायता के लिये सहायक प्रौद्योगिकियों (assistive technologies) और अनुकूली उपकरणों (adaptive devices) का अभाव है।
    - सहायक प्रौद्योगिकियों का वैश्वकि बाज़ार वर्ष 2024 तक 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है, जो इस उपभोक्ता खंड की उल्लेखनीय आरथकि क्षमता को प्रलिक्षित करता है।
- **सूचना और संचार संबंधी बाधाएँ:**
  - दृश्य, शरवण या संज्ञानात्मक निःशक्तता वाले दिवियांगजनों के लिये वैकल्पिक प्रारूपों (जैसे ब्रेल, ऑडियो, सांकेतिक भाषा) में सूचना की अनुपलब्धता की स्थितिपाइर्इ जाती है। ऐसी वेबसाइट और डिजिटल प्लेटफॉर्म जो वेब एक्सेसिलिटी मानकों के अनुरूप नहीं हैं, उनके नेविगेशन और उपयोग को कठिन बनाते हैं।
    - व्यवसायों की ओर से स्पष्ट और सरल संचार का अभाव, जिससे दिवियांगजनों के लिये उत्पाद सूचना को समझना और सूचित विकल्प चुनना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। वेब एक्सेसिलिटी एनुअल रपोर्ट (2020) के अनुसार, अमेरिका में अवस्थित 98% वेबपेज विधिक दृष्टिकोण से दिवियांग समुदाय के लिये अभिगम्य नहीं हैं।
- **व्यवहार संबंधी और सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ:**
  - सामाजिक कलंक, भेदभाव और दिवियांगजनों की विधिआवश्यकताओं एवं क्षमताओं के बारे में जागरूकता की कमी की स्थितिपाइर्इ जाती है। मुख्यधारा के उपभोक्ता अनुभवों से अपवर्जन और उत्पाद एवं सेवा डिजिटल में दिवियांगजनों की प्राथमिकताओं एवं आवश्यकताओं पर सीमित विचार करने की स्थितिभी देखी जाती है। दिवियांगजनों की क्रय शक्ति और बाज़ार क्षमता के बारे में गलत धारणाएँ मौजूद हैं, जिससे वे वंचना के शक्तिर होते हैं।
    - NCPEDP (National Centre for Promotion of Employment for Disabled People) के एक सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग 73% दिवियांगजनों को सार्वजनिक स्थानों और सुविधाओं तक पहुँच में बाधाओं का सामना करना पड़ा।
- **आरथकि और वित्तीय बाधाएँ:**
  - विशेष सहायक उपकरणों, स्वास्थ्य देखभाल और व्यक्तिगत सहायता सेवाओं की आवश्यकता के कारण दिवियांगजनों के लिये जीवनयापन की उच्च लागत पाइर्इ जाती है। पर्याप्त वित्तीय संसाधनों, रोजगार के अवसरों और सामाजिक सुरक्षा उपायों तक सीमित पहुँच उनकी उपभोक्ता क्रय शक्तिको बाधित करती है।
    - शरवण दिवियांग उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग के कारण शरवण यंत्रों का वैश्वकि बाज़ार वर्ष 2020 में 7.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2027 तक 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।



#### ■ नीतिगत और नयामक बाधाएँ:

- उपभोक्ताओं के रूप में दवियांगजनों के लिये अभिगम्यता मानकों और भेदभाव-वरिधी कानूनों के अप्रभावी कार्यान्वयन एवं प्रवरतन की स्थिति पाई जाती है। समावेशी डिज़िल और अभिगम्यता सुविधाओं में निवेश हेतु व्यवसायों के लिये अप्रयाप्त प्रोत्साहन एवं समर्थन तंत्र मौजूद है। दवियांगजनों के समकृष्ट विद्यमान बहुमुखी चुनौतियों से निपटने के लिये विभिन्न सरकारी एजेंसियों और हतिधारकों के बीच खंडति एवं असंगठित प्रयास ही देखे गए हैं।
  - विकासशील देशों में कार्यशील आयु के 80% से 90% दवियांगजन बेरोज़गार हैं, जबकि औद्योगिक देशों में यह आँकड़ा 50% से 70% के बीच है।

## दवियांगजनों के समकृष्ट विद्यमान चुनौतियों पर वास्तविक जीवन का एक उदाहरण:

- कल्पना कीजाए कि आप एक दृष्टिबिधति व्यक्ति हैं जो एक टोस्टर खरीदने के लिये सुपरमार्केट जा रहे हैं:
  - आप एक मोबाइल ऐप के माध्यम से कैब की बुकिंग करना चाहते हैं, लेकिन चूँकि ऐप दवियांगजन हेतु सुगम्य नहीं है, इसलिये आप बुकिंग के लिये बाहरी मदद पर निरिभर होते हैं।
  - सुपरमार्केट में, चूँकि इमारत में स्पष्टशानीय फुटपाथ (tactile pavements) मौजूद नहीं हैं, इसलिये इलेक्ट्रोनिक्स के उपकरण अनुभाग तक पहुँचने और टोस्टर खरीदने के लिये फरि आपको बाहरी मदद की आवश्यकता पड़ती है।
  - आप घर लौटते हैं और पाते हैं कि टोस्टर काम नहीं कर रहा है और आप टोस्टर कंपनी के ग्राहक सहायता से संपर्क करना चाहते हैं।
    - लेकिन चूँकि उनका संपर्क विवरण बाहरी पैक पर मुद्रित होता है, इसलिये उन्हें पढ़ने के लिये आपको फरि बाहरी मदद की

आवश्यकता पड़ती है।

- यह पता चलने पर कईंपनी केवल डाक के माध्यम से लिखित शक्तियों स्वीकार करती है, एक बार फिर आपको कंपनी को शक्तियों भेजने के लिये बाहरी मदद की ज़रूरत पड़ती है।

## CWD की चुनौतियों को कम करने के विभिन्न उपाय:

### ■ व्यवसाय क्षेत्र से शुरुआत करना:

- व्यवसाय एक प्रारंभिक बढ़ि हो सकता है। व्यवसाय आम तौर पर दिव्यांगजनों को अपने लक्षणों के रूप में नहीं देखते हैं। इसकी पुष्टिउनकी दुर्गम्य पेशकशों से होती है, जो आम तौर पर 'मुख्यधारा' के उपभोक्ताओं के लिये डिजिटल की गई है। [विश्व बैंक](#) की वर्ष 2009 की एक रपोर्ट के अनुसार, भारत में दिव्यांगजनों की संख्या कुल आबादी की 5-8% है। इसलिये, यद्युदारता के कारण नहीं तो कम से कम ग्राहकों तक पहुँच बढ़ाने के लिये व्यवसायों को अपनी पेशकशों को सुगम्य बनाने पर विचार करना चाहयि।

### ■ व्यवसायों के बीच संवेदनशीलता के अंतराल को दूर करना:

- प्रभावी नीतियों के माध्यम से व्यवसायों के बीच संवेदनशीलता के अंतराल को दूर किया जा सकता है। उदाहरण के लिये, [FSSAI](#) ने अक्टूबर 2023 में सभी खाद्य उत्पादों पर उत्पाद सूचना वाले [QR कोड](#) को शामिल करने के लिये सभी खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों के लिये एक एडवाइजरी जारी किया। यह सरल लेकनि प्रभावी कदम दृष्टिबिधाति लोगों को अपने दम पर महत्वपूर्ण उत्पाद सूचना तक पहुँच की अनुमति दिया।

### ■ सरकार की ओर से सक्रिय सहयोग:

- सरकार एक अन्य इकाई है जो बदलाव ला सकती है। सरकार सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के लिये व्यापक पहुँच देशनिर्देश लाने पर विचार कर सकती है। भारत ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों द्वारा की गई पहलों से प्रेरणा लेते हुए अपनी नीतियों में सदृश रणनीतियों को एकीकृत कर सकता है।

### ■ दिव्यांगता आयोगों का सशक्तीकरण:

- दिव्यांगजनों को ऐसे कानूनों द्वारा भी सशक्त बनाया जा सकता है जो उपभोक्ताओं के रूप में उनके अधिकारों एवं हतियों की रक्षा करते हैं। इस संबंध में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (RPWDA), 2016 एक प्रमुख अधिनियम है।
- इस अधिनियम में विशेष रूप से सार्वभौमिक रूप से डिजिटल की गई उपभोक्ता वस्तुओं एवं सुगम्य सेवाओं (धारा 43 और 46) के प्रावधान शामिल हैं। RPWDA के तहत अधिसूचित नियमों के अनुसार सभी [सूचना एवं संचार प्रायोगिकी \(ICT\)](#) वस्तुओं और सेवाओं का [BIS मानक](#) के अनुसार सुगम्य होना आवश्यक है।
- इन अधिकारों के उल्लंघन के मामले में दिव्यांगजन उपभोक्ता अधिनियम के तहत स्थापित दिव्यांगता आयोगों के पास शक्तियां दर्ज कर सकते हैं। हालाँकि दिव्यांगता आयोग केवल अनुशासनात्मक नियन्त्रित जारी करते हैं, इसलिये वे प्रायः प्रयाप्त उपचार प्रदान नहीं कर पाते। इसलिये, दंडात्मक उपायों को लागू करने के लिये आयोग को सशक्त बनाने की आवश्यकता है।

### ■ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 को RPWDA के साथ संरेख्यता करना:

- एक अन्य साधन [उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम \(CPA\), 2019](#) है जो न केवल विभिन्न उपभोक्ता अधिकारों का विवरण प्रदान करता है बल्कि उपभोक्ता आयोगों को उपभोक्ता शक्तियों के मामले में जुर्माना लगाने और मुआवजा दिलाने का अधिकार भी देता है। उपभोक्ता आयोगों के समक्ष लाए गए कई मामलों में दिव्यांग उपभोक्ताओं ने सफलतापूर्वक ऐसे उपचार प्राप्त किये हैं।
  - उदाहरण के लिये, एस. सुरेश बनाम मैनेजर आई/सी गोकुलम सनिमा मामले में चलन दिव्यांगता (locomotor disability) रखने वाले एक व्यक्तिको सनिमा हॉल में दुर्गम्यता का सामना करने के लिये 1 लाख रुपए का मुआवजा प्राप्त हुआ।
  - RPWDA के विपरीत CPA के पास सुदृढ़ प्रवर्तन एवं अनुपालन तंत्र मौजूद है। हालाँकि, इसमें दिव्यांग उपभोक्ताओं के लिये कसी भी समर्पण अधिकार का अभाव है, जो उन्हें उपभोक्ता आयोगों में शक्तियां दर्ज करने से अवरुद्ध कर सकता है। इसलिये, CPA को RPWDA के साथ संरेख्यता करना अनविवर्य हो जाता है।

### ■ दिव्यांग उपभोक्ताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए जागरूकता बढ़ाना:

- दो मुख्य विधियों के तहत दिव्यांग उपभोक्ताओं के लिये उपलब्ध मौजूदा अधिकारों और संसाधनों के बारे में जागरूकता बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। जबकि उपभोक्ता जागरूकता पर राज्य का फोकस रहा है (विशेष रूप से 'जागो ग्राहक जागो' जैसे प्रमुख अभियान के साथ), दिव्यांग उपभोक्ताओं पर कभी ध्यान नहीं दिया गया।

## उपभोक्ता संरक्षण के लिये प्रमुख पहलें

- [उपभोक्ता कल्याण कोष](#)
- [केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद](#)
- [उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2021](#)
- [उपभोक्ता संरक्षण \(ई-कॉमरेस\) नियम, 2020](#)
- [राष्ट्रीय उपभोक्ता विविस](#)

## निष्कर्ष:

दिव्यांग उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुनिश्चित करना न केवल एक कानूनी दायतिव है बल्कि अनविवर्यता भी है। समाज अभिमयता, गैर-भेदभाव और समान व्यवहार को बढ़ावा देकर सभी के लिये अधिक समावेशी एवं समतामूलक बाज़ार का नियमांश कर सकते हैं। व्यवसायों और सरकारों के लिये यह आवश्यक है कि वे दिव्यांग उपभोक्ताओं के समक्ष विद्यमान विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने के लिये मिलिकर कार्य करें तथा यह सुनिश्चित करें कि वे अरथव्यवस्था और समाज में पूरी तरह से भागीदारी कर सकें। केवल ठोस प्रयासों और समावेशता के प्रतीक उपतिष्ठता के माध्यम से ही हम एक ऐसी दुनिया का नियमांश कर सकते हैं जहाँ प्रत्येक उपभोक्ता के साथ, उनकी क्षमताओं की प्रवाह किया जाए। गरमा एवं सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए।

**अभ्यास प्रश्न:** वस्तुओं और सेवाओं तक अभिगम्यता के मामले में दवियांग उपभोक्ताओं के समक्ष उभरने वाली चुनौतियों की चर्चा कीजयि । समाज में समावेशी उपभोग को बढ़ावा देने के लिये आवश्यक नीतिगत उपाय सुझाइये ।

## यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा वर्गित वर्ष के प्रश्न

**प्रश्न:** भारत में कानून के प्रावधानों के तहत 'उपभोक्ताओं' के अधिकारों/विशेषाधिकारों के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2012)

1. उपभोक्ताओं को खाद्य परीक्षण के लिये नमूने लेने का अधिकार है ।
2. जब कोई उपभोक्ता किसी उपभोक्ता फोरम में शक्तियात दर्ज कराता है तो कोई शुल्क नहीं देना होता है ।
3. उपभोक्ता की मृत्यु के मामले में उसका कानूनी उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता फोरम में शक्तियात दर्ज करा सकता है ।

**नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:**

- (a) केवल 1  
(b) केवल 2 और 3  
(c) केवल 1 और 3  
(d) 1, 2 और 3

**उत्तर: c**

---

**प्रश्न.** भारत लाखों दवियांग व्यक्तियों का घर है । कानून के अंतर्गत उन्हें क्या लाभ उपलब्ध हैं? (2011)

1. सरकारी स्कूलों में 18 साल की उम्र तक मुफ्त स्कूली शिक्षा ।
2. व्यवसाय स्थापित करने के लिये भूमिका अधिमान्य आवंटन ।
3. सार्वजनिक भवनों में रैंप ।

**उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?**

- (a) केवल 1  
(b) केवल 2 और 3  
(c) केवल 1 और 3  
(d) 1, 2 और 3

**उत्तर: d**